—:: नि र्ण य ::—

(आज दिनांक 03/08/023 को घोषित किया गया)

1— अभियुक्त / गण की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त / गण मडिया खवरचु धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जा है।

2— अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त / गण को परिवीक्षा का लाभ दि जाने की अपेक्षा एक शिक्षाप्रद दण्ड दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

3— अतः अभियुक्त / गण को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय उठने त की सजा एवं रूपये 500/- /—के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न कि जाने की दशा मे अभियुक्त / गण को 15 दिवस का कारावास भुगताया जावे।

4— प्रकरण मे जप्तशुदा कच्ची शराब अवैध शराब कुल 10 लीट कीमती 650/- /—रूपये मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपी होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(भूपेन्द्र यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सरदारपुर

मेरे उद्‌बोधन पर टंकित

(भूपेन्द्र यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सरदारपुर

आपराधिक चालान प्रौ-फार्म

न्यायालय का नाम:-श्रीमान जे.एम.एफ.सी. महोदय न्यायालय सरदारपुर जिला धार (म.प्र.)

Siling NO- SUM/1860/2023

CNR NO- MP11070023482023

CESE NO- SUM/682/2023

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र

प्रस्तुतीकरण दिनांक	पुलिस स्टेशन का नाम	अपराध क्रमांक	घटना दिनांक	अधिनियम एवं नाम
03/08/023	सरदारपुर	325/2023	08.07.2023	34 (1) आबकारी एक्ट

पक्षकारो की जानकारी

अभियोजन/परिवादी का नाम-पित/पति का नाम उम्र निवासी फोन नंबर	अभियुक्त गण का नाम/ पिता/ पति का नाम उम्र निवासी फोन नंबर	सही/गलत का निशान लगाये
शासन तर्फे कार्या वाहक प्रधान आर.649 गज्जुलाल वसुनिया चौकी रिगनोद थाना सरदारपुर मौबाईल नंबर 9406656371	1. मडिया पिता बच्चु कटारा जाति भील उम्र 60 साल निवासी ग्राम पाटीयाकुआ चौकी रिगनोद थाना सरदारपुर। मौबाईल नंबर ~~79853882~~ 648 89648 / 33501	

ST	ST	OBC	GEN	HC	OLD

सही/गलत का निशान लगाये

ST	ST	OBC	GEN	PLD

फो.न. 1340 / 03/08/23